



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
कार्यकारी कुलसचिव
Prof. Krishna Kumar Singh
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-46/2018
दिनांक : 08.10.2018

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय की पूर्व में निलंबित 05 छात्राओं में से चार छात्राओं का निलंबन पुलिस स्टेशन रामनगर से प्राप्त पत्र क्रमांक 1600/18 दिनांक 10.09.2018 के अनुसरण में कार्यालय आदेश संख्या 003/2003/का.आ./02-43/2018 दिनांक : 14.09.2018 के माध्यम से निरस्त किया गया था।

सुश्री ललिता हेतराम, बी.एड.-एम.एड. (एकीकृत), शिक्षा विभाग के निलंबन के संबंध में प्राप्त विधिक परामर्श के अनुसरण में सुश्री ललिता हेतराम का निलंबन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

सुश्री ललिता हेतराम को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में वे किसी भी अनुशासनहीनता के कृत्य में संलिप्त ना हों, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जाता है।


(कुलसचिव)

प्रति :

सुश्री ललिता हेतराम
बी.एड.-एम.एड. (एकीकृत)
शिक्षा विद्यापीठ
म.गां.अं.हिं.वि. वर्धा

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग
4. कुलानुशासक
5. परीक्षा प्रभारी
6. छात्रावास अधीक्षक, सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास
7. प्रभारी, अकादमिक विभाग
8. विश्वविद्यालय वेबसाइट
9. संबंधित पत्रावली